FAX

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3जी/(ए0सी0डी0सी0)–175–07/2012– 1348

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी (नालंदा, वैशाली एवं सुपौल जिला को छोडकर)
लेखा शाखा, अनु0जा0एवं अनु0ज0जा0 कल्याण विभाग ।

पटना, दिनांक– 16/7/2012

विषयः–**सार विपत्र पर निकासी की गई राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र की तैयारी का अनुश्रवण करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि विभागीय ज्ञापांक–965 दिनांक–22–5–12 एवं पत्रांक–1222 दिनांक–27–6–12 द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र में सार विपत्र पर निकासी की गई राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र की तैयारी का अनुश्रवण करने हेतु सूचना की मांग की गई थी । निर्धारित प्रपत्र में सूचना मात्र तीन जिलों से प्राप्त हुआ है । शेष जिलों से सूचना अबतक अप्राप्त है । इसकी समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जा रही है । मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–5864 दिनांक–1–6–12 द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2011–12 तक का सार विपत्र पर निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र समायोजित करने के संबंध में निदेश दिया गया है । पूर्व में विभाग द्वारा आपको लंबित ए0सी0 विपत्र की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना विशेष दूत द्वारा या फैक्स के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

13/7/12

सरकार के अपर सचिव।

Letter under Secretary -2011-12

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>आदेश</u>

संख्या:- 28/डा.से-11/2012 पटना/दिनांक.................

सार विपत्र पर की गयी निकासी का डी.सी. विपत्र समर्पित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार, पटना के स्तर से समाचार पत्रों में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश निर्गत किया गया है जिसमें अंकित है कि सभी डी.डी.ओ. दिनांक 15.06.2012 तक प्रत्येक हाल में लंबित ए.सी. विपत्र के विरूद्ध डी.सी. विपत्र तैयार कर महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय में समर्पित करें । डी.सी. विपत्रों को प्राप्त करने की व्यवस्था बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यालय (सुलतान पैलेस) में की गयी है । महालेखाकार (ले० एवं ह०) ने अपने पत्रांक 4232 दिनांक 23.03.2012 द्वारा डी.सी. विपत्र के Preliminary Scrutiny के बाद प्राप्त करने के कार्य में मैन पावर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ।

उक्त आलोक में विभिन्न विभागों के नीचे अंकित सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों को अगले आदेश तक सुलतान पैलेस में प्रतिनियुक्त किया जाता है, जिनका कार्य निम्नवत् होगा :-

1. राज्य के विभिन्न डी.डी.ओ. द्वारा लाये जा रहे डी.सी. विपत्रों की प्रारम्भिक जाँच करना ।

2. डी.सी. विपत्र के साथ चेक लिस्ट दो प्रतियों में संलग्न रहना है । चेक लिस्ट के आधार पर इस बात की जाँच की जानी है कि चेक लिस्ट में वर्णित विवरणी के अनुरूप सभी आवश्यक कागजात, प्रमाणक आदि डी.सी. विपत्र में संलग्न हैं तथा सभी आवश्यक विवरणियों की प्रवृष्टि भी डी.सी. विपत्र में दर्ज है । जाँच का कार्य करने के बाद चेक लिस्ट के दोनों प्रतियों में Checked लिखना है तथा हस्ताक्षर कर मुहर लगाया जाना है ।

3. यदि चेक लिस्ट के अनुरूप डी.सी. विपत्र नहीं पाये जाते हैं तो संबंधित त्रुटि को चेक लिस्ट के पार पृष्ठ पर अंकित कर संबंधित डी.डी.ओ. को वापस कर दिया जाना है, ताकि संबंधित डी.डी.ओ. त्रुटियों का निराकरण कर डी.सी.विपत्र को पुनः लायेंगे ।

4. यदि चेक लिस्ट के अनुरूप डी.सी. विपत्र पाये जाते हैं तो जाँच करन, Checked लिखने तथा हस्ताक्षर करने के पश्चात उसे डी.डी.ओ. को वापस कर देना है तथा डी.डी.ओ. द्वारा उसे महालेखाकार के दल को हस्तगत करया जायेगा ।

क्रम संख्या	नाम	विभाग का नाम
1.	श्री इन्द्रजीत सिंह	कृषि विभाग
2.	श्री पवन कुमार सिंह	वित्त विभाग
3.	श्री महेन्द्र मोहन मिश्र	वित्त विभाग
4.	श्री सत्यदेव प्रसाद सिन्हा	निर्वाचन विभाग
5.	श्री श्याम भूषण प्रसाद	पंचायती राज विभाग
6.	श्री गिरिजा नन्दन सिंह	गृह विभाग
7.	श्री बांके बिहारी सिंह	उद्योग विभाग
8.	श्री वारीन्द्र कुमार सिंह	सामान्य प्रशासन विभाग
9.	श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी	योजना एवं विकास विभाग
10.	श्री रोमा प्रसाद सिकदार	आपदा प्रबंधन विभाग
11.	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
12.	श्री रामयतन पासवान	पथ निर्माण विभाग
13.	श्री महेश चौधरी	जल संसाधन विभाग
14.	श्री हरिवंश लाल दास	लघु जल संसाधन विभाग
15.	श्री सीताराम प्रसाद	समाज कल्याण विभाग
16.	श्री हरेन्द्र कुमार	भवन निर्माण विभाग
17.	श्री अशोक कुमार दास	अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग
18.	श्री राधेश्याम प्रसाद	नगर विकास एवं आवास विभाग
19.	श्री रामअनुग्रह सिंह	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ह०

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव(व्यय)।

सचिव कोषांग, अनु० जा० एवं अनु० ज० जा० बिहार, पटना संख्या 2304 02 JUL 2012

960 10/7/12

ज्ञापांक 28/डा.से-11/2012 पटना/दिनांक ....
प्रतिलिपि- सभी संबंधित सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय)।

ज्ञापांक 28/डा.से-11/2012-6259-वि0 पटना/दिनांक 12/6/12
प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय)।

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–3जी0 / (ए0सी0डी0सी0)175 / 07 / 2012

ज्ञापांक–3जी0 / (ए0सी0डी0सी0)175 / 07 / 2012 1351 पटना, दिनांक– 16/7/2012

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं श्री अशोक कुमार दास सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव।

letter-director